कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 04/2020-21/
दिनांक : /11/2020

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत भगवानपुर,

जनपद - हरिद्वार ।

विषय : नगर पंचायत भगवानपुर, जनपद- हरिद्वार का वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **04** प्रस्तर एवं STAN में **01** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 13 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 04/2020-21/ **दिनांक: /11/2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।
2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद- हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. भारतीय, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ., श्री विनीत राही, स.ले.प.अ. एवं श्रीमती ममता देवी, व.ले.प. द्वारा दिनांक 20.07.2018 से 26.07.2018 तक संपादित की गयी थी, जिसमें 2014-15 से 2017-18 तक की अवधि के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र** -:

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **2.64 वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: - **17179**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: -09

(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: 03

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: -

(vi) कर्मचारियों की संख्या: - कोई स्थायी अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं है। EO का कार्यभार, EO मंगलौर को दिया गया है तथा अन्य सभी पद पी.आर.डी./आउटसोर्स से भरे गये है।

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: - **दुकाने, कार्यालय भवन**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)-_ कार्यालय नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद- हरिद्वार

विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण (धनराशि ₹ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर- स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर- स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2017-18	458400	37500	14042472	9330838	16066000	11728020	0	5170034	0	4375480
2018-19	5170034	4375480	9378077	13898988	14514950	12811993	0	649123	0	6078437
2019-20	649123	6078437	13187035	13380563	29645050	7097951	0	455595	0	28625536

2(ii)(ब)-कार्यालय नगर पंचायत - भगवानपुर, जनपद - हरिद्वार के वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण						
क्र. सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त	0	12500000	12500000	7600000	4900000
2	अवस्थापना विकास निधि	0	10276000	10276000	6754000	3522000
3	14 वाँ वित्त	0	5215000	5215000	4493000	722000
4	एस.बी.एम. (IHHL)	0	500000	500000	426000	74000
5	एस.बी.एम. (IEC)	37500	75000	112500	55020	57480
6	निकाय निधि	458400	1542472	2000872	1730838	270034
	कुल योग	**495900**	**30108472**	**30604372**	**21058858**	**9545514**

नगर पंचायत - भगवानपुर, जनपद - हरिद्वार के वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण						
क्र. सं.	मदका नाम	पूर्ववर्ष का अवशेष	वर्षके दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्षके दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	राज्य वित्त	4900000	7500000	12400000	12336491	63509
2	अवस्थापना विकास निधि	3522000	0	3522000	0	3522000
3	14 वाँ वित्त	722000	11920000	12642000	10282262	2359738
4	एस.बी.एम. (IHHL)	74000	1499950	1573950	1425911	148039
5	एस.बी.एम. (CT/PT)	0	980000	980000	980000	0
6	एस.बी.एम. (IEC)	57480	75000	132480	83820	48660
7	डे.एन.यू.एल.एम.	0	40000	40000	40000	0
8	निकाय निधि	270034	1878077	2148111	1562497	585614
	कुलयोग	**9545514**	**23893027**	**33438541**	**26710981**	**6727560**

नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद - हरिद्वार के वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण						
क्र. सं.	**मदका नाम**	**पूर्ववर्ष का अवशेष**	**वर्षके दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्षके दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	**राज्य वित्त**	63509	12500000	12563509	12313324	250185
2	**अवस्थापना विकास निधि**	3522000	8078000	11600000	3008008	8591992
3	**14 वाँ वित्त**	2359738	14469000	16828738	3949943	12878795
4	**एस.बी.एम. (IHHL)**	148039	7000050	7148089	140000	7008089
5	**एस.बी.एम. (CT/PT)**	0	98000	98000	0	98000
6	**एस.बी.एम. (IEC)**	48660	0	48660	0	48660
7	**निकाय निधि**	585614	687035	1272649	1067239	205410
	कुल योग	**6727560**	**42832085**	**49559645**	**20478514**	**29081131**
लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						

भाग-I. 2(ii)(स)

नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद - हरिद्वार को केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	**14 वाँ वित्त**	0	5215000	5215000	4493000	722000
2018-19	**14 वाँ वित्त**	722000	11920000	12642000	10282262	2359738
2019-20	**14 वाँ वित्त**	2359738	14469000	16828738	3949943	12878795
2017-18	**एस.बी.एम. (IHHL)**	0	500000	500000	426000	74000
2018-19	**एस.बी.एम. (IHHL)**	74000	1499950	1573950	1425911	148039
2019-20	**एस.बी.एम. (IHHL)**	148039	7000050	7148089	140000	7008089
2017-18	**एस.बी.एम. (IEC)**	37500	75000	112500	55020	57480
2018-19	**एस.बी.एम. (IEC)**	57480	75000	132480	83820	48660
2019-20	**एस.बी.एम. (IEC)**	48660	0	48660	0	48660
2018-19	**एस.बी.एम. (CT/PT)**	0	980000	980000	980000	0
2019-20	**एस.बी.एम. (CT/PT)**	0	98000	98000	0	98000

भाग II (ब)

प्रस्तर 01- अनियमित व्यय ₹ 8.69 लाख।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के बिन्दु 33 के अनुसार जहां क्रय की जाने वाली सामाग्री का मूल्य ₹ 25 हजार तक हो, ऐसी सामाग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर की जा सकती है। जहां क्रय की जाने वाली सामाग्री का मूल्य ₹ 25 हजार से अधिक एवं ₹ 2.50 लाख से कम हो वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुति पर किया जा सकता है। क्रय समिति बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। ₹ 2.50 लाख से अधिक की सभी अधिप्राप्तियाँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम (ई-प्रोक्यूरमेंट) से की जाएंगी।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निकाय द्वारा वर्ष 2019-20 में क्रय की गई विभिन्न सामग्रियों हेतु क्रय समिति का गठन नहीं किया गया एवं जिन फार्मों से कोटेशन प्राप्त की गई है उनमें तीन में से मात्र एक फर्म पंजीकृत है अर्थात बिना पंजीकृत फर्म से कोटेशन प्राप्त कर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। इस प्रकार इकाई द्वारा कुल ₹ 4.15 लाख की अधिप्राप्ति नियमों के विपरीत की गई। विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	फर्म का नाम एवं पंजीकरण की स्थिति			सामाग्री का नाम	दिनांक	धनराशि (₹ में)
1	S.kumar&Company) Yes)	Shah krishi sewa kendre (Yes)	Jai durga khad bhabdar (No)	डाइक्लोरोवास	26.11.19 25.11.19	24000 24000
2	New bharat electrical (Yes)	Amba electronic (Yes)	Midaas Green Tech (No)	एयर कंडीशन	8.5.19 8.5.19 12.6.19	127002 21000 1000
3	Washik electrical (Yes)	Umer electrical (No)	A to Z electrical (No)	Nexa battry	20.9.19	40960
4	Rashi Medicin Company (Yes)	Kalyan Diagnosics (No)	Madhav Surgical (no)	Medicine	20.12.19	181296
					Total	419258

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत मच्छरों के प्रकोप से बचाव हेतु दिनांक 01.10.19 से 30.10.19 के मध्य प्रतिदिन 15000 प्रति टैंकर की दर से कार्य कराया गया। जिसका बिल दिनांक 16.10.19 को ₹ 2.25 लाख एवं दिनांक 31.10.19 को ₹ 2.25 लाख कुल ₹ 4.50 लाख का भुगतान किया गया। इस हेतु तीन पंजीकृत फर्म से कोटेशन प्राप्त कर अधिप्राप्ति की गई जबकि यह अधिप्राप्ति निविदा प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त कार्य के संबंध में वार्ड मेम्बर अथवा वहाँ के निवासियों से साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षरित कोई भी दस्तावेज़ पत्रावली में उपलब्ध नहीं पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः ₹ 8.69 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2 (ब)

प्रस्तर 02 : "रॉयल्टी की धनराशि (₹ 91,094/-) को राजकोष में जमा न किया जाना तथा उक्त रॉयल्टी के सापेक्ष 25% की अतिरिक्त धनराशि(₹ 22,774/-) की कटौतीकर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री के स्वामित्व (रॉयल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संबन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा।

नगर पंचायत - भगवानपुर, जनपद - हरिद्वार के वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 से संबन्धित लेखाभिलेखों की जाँच (अक्टूबर, 2020) में यह पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त वर्षों के दौरान निर्माण कार्यों से ₹ 91,094/- की धनराशि की रॉयल्टी के रूप में कटौती की गयी थी परन्तु इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं कराया गया था। (विवरण संलग्न)

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा उपरिवर्णित रॉयल्टी की 25% धनराशि (₹ 22,774/-) की कटौती कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी परन्तु इकाई द्वारा इस धनराशि की कटौती नहीं की गयी थी। (**विवरण संलग्न**)

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा बताया गया कि रॉयल्टी की धनराशि संबन्धित मद में जमा करा दी जाएगी एवं जिला न्यास निधि अंशदान हेतु उपरिवर्णित रॉयल्टी के 25% अंश की धनराशि की कटौती करके संबन्धित मद में जमा करा दी जाएगी |

इकाई द्वारा प्रदत्त उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 दिनांक 12 जनवरी, 2015 को ही प्रवृत्त समझी गयी थी तथा इकाई द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया है|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	कार्य का नाम	काटी गई रॉयल्टी की धनराशि जो राजकोष में जमा नहीं की गयी	जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर, रॉयल्टी की 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा की जाने वाली धनराशि
1	2019-20	राज्य वित्त/14 वाँ वित्त	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 5 में वहीद के मकान से मास्टर क़ुरबान के मकान तक सी. सी. सड़क एवं नाली आदि का निर्माण कार्य	5546	1386.50
2	2019-20	राज्य वित्त/14 वाँ वित्त	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 6 में गोविन्द के मकान से घनश्याम के मकान तक क्षतिग्रस्त सी. सी. सड़क एवं नाली आदि का निर्माण कार्य	7203	1800.75
3	2019-20	राज्य वित्त/14 वाँ वित्त	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 2 में विमल के मकान से डॉ. उनियाल के मकान तक क्षतिग्रस्त सी. सी. सड़क एवं नाली आदि का निर्माण कार्य	5508	1377
4	2019-20	14 वाँ वित्त	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 8 में अमित/नरेश (पुन्ना) के घर के पास 8 मीटर टूटे स्लैब का निर्माण कार्य	1724	431
5	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 2 में इलियास के मकान से दिलशाद के मकान तक 40 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	4496	1124
6	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 1 खानपुर में माँगे के मकान से निसार के मकान तक 120 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	8856	2214
7	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 2 में यामीन के घर से नौशाद की दुकान तक 80 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	15837	3959.25
8	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न. 3 में सतेन्द्र शर्मा के प्लॉट से लेकर विनोद चौहान	4414	1103.50

			के मकान तक 45 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य		
9	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न .3 में वेदपाल के मकान से विक्रम पण्डित के मकान तक 70 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	8272	2068
10	2019-20	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत वार्ड न .3 में मनोज के मकान से इन्द्रराज के मकान तक 40 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	7948	1987
11	2018-19	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत खानपुर में रमेश के मकान से अमन के मकान तक 20 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	1376	344
12	2018-19	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत खानपुर में लाला रामकिशन के मकान से सुखदेव के मकान तक 35 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	4453	1113.25
13	2018-19	अवस्थापना विकास निधि	नगर पंचायत भगवानपुर के अन्तर्गत भगवानपुर में राजकुमार माहेश्वरी के मकान से माँगे के मकान तक 100 मीटर सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	6126	1531.50
14	2018-19	अवस्थापना विकास निधि	शाहपुर में जे. ई. एच. पी. के मकान से अभिनव सिंह के मकान तक 45 मीटर सी .सी . सड़क का निर्माण कार्य	9335	2333.75
			कुल योग	**91094**	**22774**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03- ` 19.39 लाख की धनराशि से क्रय किए गये वाहनों का पंजीकरण किए बिना परिसंचालन किया जाना।

मोटर वाहन एक्ट के अध्याय IV की धारा 39 के अनुसार समस्त वाहनों का पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके अनुसार " No person shall drive any motor vehicle and no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is registered in accordance with this Chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled and the vehicle carries a registration mark displayed in the prescribed manner: Provided that nothing in this section shall apply to a motor vehicle in possession of a dealer subject to such conditions as may be prescribed by the Central Government".

नगर पंचायत, भगवानपुर के वाहनों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा धनराशि `1938733/- से क्रय किए गए वाहनों का बिना पंजीकरण किए ही संचालन किया जा रहा था। उक्त वाहनों को क्रय किए जाने की तिथि से 02 से 03 वर्ष का समय बीत जाने के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 2020) तक पंजीकरण नहीं किया गया था जबकि उक्त वाहनों का संचालन निरंतर रूप से सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा था। क्रय किए गये वाहनों का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	संख्या	क्रय तिथि	क्रय मूल्य (₹ में)
1.	ई- रिक्शा	02	05-02-2018	590000
2.	टाटा- ऐस	02	08.01.2018	943114
3.	आयशर ट्रेक्टर	01	02.01.2017	405619
			Total	**19,38,733**

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि उक्त वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

अतः ` 19.39 लाख धनराशि की लागत से क्रय वाहनों का बिना पंजीकरण किए परिसंचालन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 2(ब)

प्रस्तर 04:- "इकाई के बैंक खाते मे अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न कराया जाना"

(₹ 2.48 लाख)

नगर पंचायत-भगवानपुर, जनपद-हरिद्वार के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2020 तक निकाय को निम्नांकित विवरणानुसार ब्याज की धनराशि (₹2,48,388/-) अर्जित हुई थी: -

क्र. सं.	मद का नाम	बैंक खाता संख्या	अर्जित ब्याज की धनराशि (₹ में)
1	DAY-NULM	HDFC Bank/50100234888969	6653
2	अवस्थापना विकास निधि	HDFC Bank /50100307799816	89823
3	SFC	HDFC Bank /50100215831131	85700
4	SBM	Axis Bank /916010059432468	66212
कुल योग			**2,48,388/-**

ब्याज की उपरोक्त धनराशि निकाय के खातों में पड़ी हुई थी। इस धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष के लेखाशीर्षक (0049) में जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये इकाई द्वारा बताया गया कि ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- रोकड़ बही का अनियमित रख-रखाव ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -v भाग-I अध्याय III के नियम 27(A) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में रोकड़ बही का रख-रखाव प्रपत्र-2 अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना आवश्यक है जिसमें कार्यालय द्वारा समस्त प्राप्तियों/सरकारी धन व उसके बैंक/कोषागारों में जमा किए जाने का विवरण तथा कोषागार/बैंको से बिलों/चेकों के माध्यम से आहरित/व्यय धनराशि का अलग-अलग स्तम्भ(Column) में अवश्य अंकन किया जाना चाहिए। किसी भी लेन-देन के बाद उसी दिन रोकड़-बही में इसकी प्रविष्टि करने तथा रोकड़-बही की प्रतिदिन लेखाबन्दी की जानी चाहिए एवं अवशेष धनराशि का मिलान किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तम्भ के अवशेष को कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के अंतिम अवशेष का बैंक/कोषागार/नगद रोकड़ से मिलान किया जाना चाहिए एवं इस सम्बंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र भी लगाना चाहिए।

कार्यालय **नगर पंचायत, भगवानपुर** की रोकड़-बही एवं चयनित माह की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:-

1. मुख्य रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।
2. सहायक रोकड़-बही की प्रतिदिन एवं मासिक लेखाबन्दी नहीं की जा रही थी तथा उसे सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करवाया जा रहा था।
3. निकाय द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया जा रहा था।
4. चयनित माह में रोकड़-बही की लेखाबंदी नहीं की गई थी ।
5. मुख्य रोकड़ बही न बनाए जाने एवं सहायक रोकड़ बहियों के अद्यतन न होने के कारण दिनांक 31.03.2020 को निकाय के समस्त बैंक खातों की धनराशि का निकाय की रोकड़ बहियों की धनराशि से मिलान नहीं किया जा सका |
6. वाउचर्स पर Paid & Cancelled की मोहर नहीं लगाई गयी थी |
7. 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि को निकाय के PLA खाते से आहरित कर बैंक खातों में रखा जा रहा था।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य में उक्त कमियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः रोकड़-बही के अनियमित रख-रखाव का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद-हरिद्वार** के लेखा-अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2018-19 से 2019-20 तक** की संप्रेक्षा श्री केदार सिंह, स. ले.प.अ., श्री हिमांशु शर्मा, स. ले.प.अ. तथा श्री अरविंद कुमार शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 01.10.2020 से 09.10.2020 तक श्री सुनील कल्ला, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 (अ)	भाग-2(ब)	स्टैन
स्था0नि0/प्रति0सं0-50/ 2018-19	शून्य	प्रस्तर सं0- 1,2,3,4,	01

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था0नि0/प्रति0सं0-50/ 2018-19	इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका	इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई	इकाई द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने के संस्तुति की जाती है		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य-----

भाग – V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित माँगे गये अभिलेख एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद- हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री शाहिद अली	अधिशासी अधिकारी	29-01-2018 से 27.01.2018
02	श्री राजेंद्र पाल सैनी	अधिशासी अधिकारी	27.07.2018 से 03.09.2018
03	श्री शाहिद अली	अधिशासी अधिकारी	04.09.2018 से अब तक
अध्यक्ष/प्रशासक			
01	श्रीमती सेहती देवी	अध्यक्ष	02.12.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद- हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/AMG-II, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये|

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II